

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, लखीसराय।

पटना, दिनांक- 19/1/15

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में नाला निर्माण मद में प्राप्त राशि से योजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश सं० 80 दिनांक-28.02.2014 एवं विभागीय आवंटनादेश सं० 106 दिनांक 28.02.2014 द्वारा नाला निर्माण मद के अन्तर्गत नगर परिषद्, लखीसराय को ₹ 30.00 लाख आवंटित करते हुए समतुल्य राशि की योजना प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजने का निदेश दिया गया था। पुनः प्राप्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक- 2585 दिनांक-26.08.2014 के क्रमांक- 09 द्वारा ₹ 23.60 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। अधीक्षण अभियंता, बुडा के पत्रांक- 1691, दिनांक- 24.12.2014 द्वारा उक्त योजना का तकनीकी अनुमोदन ₹ 29.013 लाख का देते हुए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

अतः अधीक्षण अभियंता, बुडा के अनुरोध के आलोक में नगर परिषद्, लखीसराय को आवंटित राशि ₹ 30.00 लाख के विरुद्ध पूर्व में निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति आदेश सं०- 2585, दिनांक- 26.08.2014 को संशोधित करते हुए निम्नांकित योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रु० में)

क्र०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	आवंटित राशि	तकनीकी स्वीकृति की राशि	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद् लखीसराय	नगर परिषद् लखीसराय अंतर्गत मुख्य सड़क से पश्चिम ओर भद्रगवान साव के घर से अष्टघटी मोड़ होते हुए मनसिंघा पईन तक ढक्कन सहित आर०सी०सी० नाली एवं एक स्लैब कल्बर्ट का निर्माण कार्य।	30.00	29.013	29.013

3. योजना के कार्यान्वयन हेतु अन्य शर्तें विभागीय राज्यादेश सं० 80 दिनांक-28.02.2014 एवं विभागीय आवंटनादेश सं० 106 दिनांक 28.02.2014के अनुरूप होगी।

विश्वासभाजन,

सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, लखीसराय।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में नाला निर्माण मद में प्राप्त राशि से योजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

पटना, दिनांक-

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश सं० 80 दिनांक-28.02.2014 एवं विभागीय आवंटनादेश सं० 106 दिनांक 28.02.2014 द्वारा नाला निर्माण मद के अन्तर्गत नगर परिषद, लखीसराय को ₹ 30.00 लाख आवंटित करते हुए समतुल्य राशि की योजना प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजने का निदेश दिया गया था। पुनः प्राप्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक- 2585 दिनांक-26.08.2014 के क्रमांक- 09 द्वारा ₹ 23.60 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। अधीक्षण अभियंता, बुडा के पत्रांक- 1691, दिनांक- 24.12.2014 द्वारा उक्त योजना का तकनीकी अनुमोदन ₹ 29.013 लाख का देते हुए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

अतः अधीक्षण अभियंता, बुडा के अनुरोध के आलोक में नगर परिषद, लखीसराय को आवंटित राशि ₹ 30.00 लाख के विरुद्ध पूर्व में निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति आदेश सं०- 2585, दिनांक- 26.08.2014 को संशोधित करते हुए निम्नांकित योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रु० में)

क्र०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	आवंटित राशि	तकनीकी स्वीकृति की राशि	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद लखीसराय	नगर परिषद लखीसराय अंतर्गत मुख्य सड़क से पश्चिम ओर भबगवान साव के घर से अष्टघटी मोड़ होते हुए मनसिंघा पईन तक ढक्कन सहित आर०सी०सी० नाली एवं एक स्लैब कल्भर्ट का निर्माण कार्य।	30.00	29.013	29.013

3. योजना के कार्यान्वयन हेतु अन्य शर्तें विभागीय राज्यादेश सं० 80 दिनांक-28.02.2014 एवं विभागीय आवंटनादेश सं० 106 दिनांक 28.02.2014के अनुरूप होगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु० 03-28/2013 416 /न०वि०एवंआ०वि०

/पटना, दिनांक-19/11/15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना /आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग/ कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मुंगेर/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार पटना/विभागीय एम०आई०एस० सेल, इन्दिरा भवन, पटना को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के अनुश्रवण हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2(बजट शाखा)/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव